राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प. 21(33)प्रा.शि. / आयो. / 2017 जयपुर,दिनांक : 18.12.2017

1. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ,जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– कक्षा 1 से 8 मे अध्ययनरत विद्यार्थियो हेतु **''ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना''** के संचालन हेतु दिशा–निर्देश जारी करने के संबंध में।
संदर्भ :– राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर की पत्रावली कमांक एफ–26 / आरसीईई / जय / एएस / टी.वी. / 2017–18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कक्षा 1 से 8 मे अध्ययनरत विद्यार्थियो हेतु सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत **''ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना''** का संचालन संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार सत्र 2017–18 में करवाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस योजना का वित्त पोषण सर्व शिक्षा अभियान में उपलब्ध बजट प्रावधान से किया जावेगा। यह सुनिश्चित किया जावे कि इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप वर्तमान में संचालित किसी भी विद्यालय को बन्द या निकट के विद्यालय में समन्वयीकरण राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

यह दिशा–निर्देश वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 101705905 दिनांक 18.12.2017 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किए जाते है।

संलग्नः– **''ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना''** के दिशा निर्देश

भवदीय

(ज्योति चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंन्त्र प्रभार)।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग।
5. संयुक्त सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा विभाग।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा
9. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान / राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान / राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
11. रक्षित पत्रावली।

(महेन्द्र सिंह)
सहायक शासन सचिव

www.rajteachers.com

कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2017–18 दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

1.2 राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) नियम, 2011 के नियम 7(4) में ऐसे छितरी व कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों, जहां नियम 7(1 व 3) में निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय का संचालन सम्भव नहीं है, में निवास कर रहे 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान किया गया है।

1.3 बिन्दु संख्या 1.2 पर वर्णित क्षेत्रों तथा उनसे सम्बद्ध वास स्थानों (Catchment Area) में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उनके वास स्थान के निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमता पूर्वक पंहुचाने के उद्देश्य से सत्र 2017–18 में ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा प्रारम्भ की जा रही है।

2. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता

2.1 ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक/बालिकाऐं जिनके वास स्थान से 1 किमी की दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।

2.2 ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक/बालिकाऐं जिनके वास स्थान से 2 किमी की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।

3. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित राशि की दर

कक्षा	वासस्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
1 से 5	एक किमी से अधिक	10 रुपये
6 से 8	दो किमी से अधिक	15 रुपये

www.rajteachers.com

4. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन

4.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), जिला स्तर पर डीपीसी/एडीपीसी (एसएसए), पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) एवं विद्यालय स्तर पर एसडीएमसी/एसएमसी द्वारा किया जावेगा।

4.2 प्रवेशोत्सव के दौरान ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रेस विज्ञप्ति राज्य स्तर पर राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी की जायेगी। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) द्वारा राजकीय कार्यालयों तथा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना संबंधी सूचनात्मक नोटिस चस्पा करवाकर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावेगा। पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को भी इस योजना के दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान की जावेगी।

4.3 बिन्दु संख्या 2.1 व 2.2 के अनुसार पात्र विद्यार्थियों के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना संचालन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(क) ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों का सर्वे पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के निर्देशन में राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करवाया जायेगा।

(ख) शाला प्रधान द्वारा सर्वे में बिन्दु संख्या 2.1 एवं 2.2 अनुसार पात्र पाये गये विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से निर्धारित प्रपत्र–1 में आवेदन पत्र भरवाकर, SMC/SDMC में जांच करवाई जाकर SMC/SDMC से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

(ग) माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय के मामले में एसडीएमसी से अनुमोदन के पश्चात संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक द्वारा पात्र विद्यार्थी को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करवाने की स्वीकृति जारी की जावेगी।

(घ) प्रावि/उप्रावि के मामले में एसएमसी के अनुमोदन पश्चात् संस्था प्रधान द्वारा अपनी अनुशंषा के साथ विद्यार्थी के आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत के पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किये जावेगे एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव/ आवेदन पत्र की समीक्षा कर ट्रांसपोर्ट वाउचर की

www.rajteachers.com

सुविधा उपलब्ध करवाने को स्वीकृति प्रदान कर आवेदन पत्र संबंधित प्रावि/ उप्रावि के संस्था प्रधान को लौटा दिये जावेगे।

(ड़) स्वीकृति जारी हाने के पश्चात् संबंधित SMC/SDMC द्वारा सामूहिक परिवहन सुविधा का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों के लिए सामूहिक परिवहन की व्यवस्था की जावेगी। यह व्यवस्था प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से पूरे सत्र के लिए किराये के वाहन से की जावेगी। इस व्यवस्था में एक ही रास्ते से आने वाले विद्यार्थियों तथा स्थानीय साधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जावेगा। उक्त कार्य में अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग लिया जावेगा। वाहन में निर्धारित क्षमता में ही विद्यार्थी बैठे, यह प्रधानाध्यापक एवं PEEO द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

(च) सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रदाता को देय एक मुश्त मासिक किराये का भुगतान SMC/SDMC द्वारा उनके बैंक खाते में किया जावेगा। यदि यह राशि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय राशि से अधिक है, तो जनसहभागिता/भामाशाह/संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों की स्वैच्छिक सहभागिता से अन्तर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जा सकता है।

(छ) सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर का भुगतान अनुज्ञेय राशि या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के अनुसार उनके बैंक खाते में SMC/SDMC द्वारा हस्तानान्तरित कर किया जायेगा।

5. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का वित्तीय प्रबन्धन

5.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के PAB वर्ष 2017—18 में संबंधित मद में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जावेगा।

5.2 राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जिलों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना अन्तर्गत छः माह की अग्रिम राशि का आवंटन करेगी। आगामी छः माह के लिए राशि का आवंटन दी गई अग्रिम राशि में से उपयोग में ली गई राशि का समायोजन करते हुए किया जावेगा।

5.3 डीपीसी/एडीपीसी समस्त संबंधित PEEO की SMC/SDMC को छः माह की अग्रिम राशि का आवंटन करेगा। आगामी छः माह के लिए राशि का आवंटन दी गई अग्रिम राशि में से उपयोग में ली गई राशि का समायोजन करते हुए किया जावेगा।

www.rajteachers.com

5.4 उक्त आवंटित राशि में से PEEO संबंधित विद्यालय की SMC/SDMC को छः माह की अग्रिम राशि का आवंटन करेगा। आगामी छः माह के लिए राशि का आवंटन दी गई अग्रिम राशि में से उपयोग में ली गई राशि का समायोजन करते हुए किया जावेगा।

5.5 SMC/SDMC द्वारा पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु प्रथम माह का अग्रिम भुगतान औसत 20 कार्य दिवस मानते हुए उनके बैंक खाते में जमा किया जावेगा। आगामी माह के लिए अग्रिम राशि का भुगतान शिविरा पंचाग अनुसार कार्य दिवस को आधार मान कर किया जावेगा। नगद राशि वितरित नहीं की जावेगी।

5.6 विद्यार्थियों को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन वास्तविक उपस्थिति दिवस के आधार पर स्वीकृत राशि की सीमा के तहत अगले माह में किया जावेगा।

5.7 SMC/SDMC द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रदाता को व्यवस्था के अनुसार निर्धारित राशि का एक मुश्त मासिक किराये का भुगतान योजनान्तर्गत प्राप्त राशि में से नियमानुसार उनके बैंक खाते में किया जावेगा।

5.8 यदि किसी कारण से SMC/SDMC को उक्त राशि प्राप्त होने में विलम्ब होता है, तो SMC/SDMC अपने स्तर से अन्य मद से योजना के संचालन हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराते हुए योजना का सुचारू, निर्बाध एवं निरन्तर संचालन सुनिश्चित करेगी एवं उक्त व्यय की गई राशि का समायोजन योजनान्तर्गत प्राप्त राशि में से किया जाएगा।

5.9 अग्रिम राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मासिक प्रगति पत्र प्रतिमाह शाला प्रधान शाला दर्शन के माध्यम से पीईईओ को भेजा जावेगा, जो उन्हें समेकित कर जिले को भिजवायेगा। जिले द्वारा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र का समेकन किया जाकर राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को भिजवाया जावेगा तथा परिषद को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति में भी प्रविष्टि की जावेगी।

6. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण

6.1 राज्य स्तर – राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् द्वारा संबंधित प्रकोष्ठ एवं शाला दर्शन/ शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से।

6.2 जिला स्तर – जिला स्तरीय निष्पादक समिति एवं डीपीसी/एडीपीसी द्वारा।

6.3 ब्लॉक – ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति द्वारा।

6.4 ग्राम पंचायत स्तर – PEEO द्वारा।

www.rajteachers.com

6.5 विद्यालय स्तर – विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) / विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा।

7. मांग एवं प्रगति की सूचना

7.1 PEEO प्रपत्र–1 के अनुसार शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों का चिन्हिकरण कर उसका अंकन करेंगे।

7.2 PEEO द्वारा प्रति माह संलग्न निर्धारित प्रपत्र 2 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना संबंधित क्रियान्वयन रिपोर्ट ऑनलाईन की जावेगी। जिले द्वारा जिले की समेकित सूचना प्रपत्र–2 की सहायता से प्रपत्र–3 में तैयार करवाकर राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् को भिजवाई जायेगी।

7.3 शाला दर्शन/ शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र–2 का ऑन लाईन अपडेशन प्रति माह 5 तारीख तक PEEO द्वारा करवाया जायेगा।

प्रपत्र–1

कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र
(नोटः– भाग–क विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा भरा जायेगा)

भाग–क

1. छात्र/छात्रा का नाम व पता : ....
2. पिता/अभिभावक का नाम : ....
3. 1. वर्तमान विद्यालय का नाम व पता : .... 2. कक्षा : ....
4. निवास स्थान : ....
5. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी (किमी में) : ....
6. निवास स्थान से निकटस्थ राजकीय प्राथमिक विद्यालय की दूरी (किमी में) : ....
7. निवास स्थान से निकटस्थ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी (किमी में) : ....
8. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्प :

SMC/SDMC के माध्यम से सामूहिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था/ स्वयं के स्तर पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था।

(अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर) **(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)**

(कार्यालय उपयोग हेतु)

भाग–ख

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

(पात्रता की शर्त 2.1 एवं 2.2 के अनुसार पात्र विद्यार्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है। छात्र/छात्रा .... विद्यालय.. डाईस कोड .... की कक्षा ....में अध्ययनरत है जिसका एस.आर. कमांक .... है। अतः उक्त छात्र/ छात्रा का आवेदन पत्र परिवहन भत्ता नियमानुसार दिया जाने की जांच एवं अनुशंषा हेतु SMC/SDMC के समक्ष प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
मय सील

www.rajteachers.com

भाग–ग
SMC/SDMC द्वारा जांच एवं अनुशंषा

SMC/SDMC की बैठक दिनांक .... को हुई जिसमें श्री/ सुश्री .... पुत्र/ पुत्री .... निवासी .... जो कि .... विद्यालय की कक्षा .... में अध्ययनरत है के ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच की गई एवं सही पाया गया। SMC/SDMC उक्त छात्र/ छात्रा को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्रता शर्त संख्या 2.1/2.2 अनुसार योजना का लाभ दिये जाने की अनुशंषा करती है।

हस्ताक्षर SMC/SDMC अध्यक्ष
मय सील

हस्ताक्षर SMC/SDMC सचिव
मय सील

भाग–घ
PEEO द्वारा अनुमोदन

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की जांच की गई एवं आवेदक छात्र / छात्रा ....कक्षा .... का आवेदन सही पाया गया। छात्र/ छात्रा को ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा हेतु पात्रता की शर्त 2.1/2.2 के आधार पर योजना का लाभ दिये जाने / नहीं दिये जाने का स्वीकृति प्रदान करता / करती हूँ।

ह. PEEO
मय सील एवं दिनांक

प्रपत्र–2
मासिक प्रगति
(शाला दर्शन / शाला दर्पण पोर्टल पर ऑन लाईन फीडिंग हेतु)

विद्यालय का नाम : .... डाइस कोड : .... माह .... कुल कार्य दिवस ....

क.सं.	S.R. No.	नाम पात्र छात्र/ छात्रा	लिंग	अध्ययनरत कक्षा	ट्रांसपोर्ट व्यवस्था		कुल उपस्थिति दिवस (गत माह)	ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनान्तर्गत भुगतान की गई राशि	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या
					ट्रांसपोर्टर द्वारा	स्वयं के स्तर पर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
योग										

(हस्ताक्षर)
संस्था प्रधान/ PEEO

प्रपत्र–3
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं छः माही मांग पत्र

ब्लॉक : .... जिला : .... माह : .... कुल कार्य दिवस ....

क.सं.	पात्र छात्र/ छात्राओं की संख्या		कुल अग्रिम प्राप्त राशि (रूपये में)	राशि जिसका भुगतान किया गया	उपलब्ध शेष राशि (रूपये में)	कुल मांग राशि (रूपये में)	शुद्ध वास्तविक आगामी मांग राशि (रूपये में)
	प्राथमिक कक्षा स्तर	उच्च प्राथमिक कक्षा स्तर					
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

(हस्ताक्षर)
PEEO /ADPC

www.rajteachers.com